न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2023(GCMS 2023/163)
(आरटीआई संख्या 212979990557943)

श्री विनयदीप सिंह पुत्र स्व. श्री अश्वनी कुमार, निवासी 179–बी, नई विनोब बस्ती, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94603–94697)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनयदीप सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2023 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मोहन लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. Copy of all the documents submitted by the applicant for the applicant for the issuance of Arms License, including but not limited to, application form, supporting documents, supporting letters, fee receipts and stam duly.
2. Copy of office notes (कार्यालय टिप्पणी) prepared by the judicial section of the Office of District collector, Sri Ganganagar, in pursuance of the applicant's application for Arms License.
3. Copy of all the documents/reports shared by associated government institutions, including but not limited to, police report, CID report, and weapon training certificate in pursuance of the applicant's application for Arms License.
4. Copy of all the orders passed by the Office of District Collector in pursuance of the applicant's application for Arms License.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5. Copy of applicant's details/profile entered on NDAL-ALIS (National Database of Arms License -Arms License Issuance System), including but not limited to, the Unique Identification Number
6. Copy of applicant;s Arms License.

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/22/1263 दिनांक 01.09.2023 एवं स्मरण पत्र 2143/11.12.2023, 541/06.05.2024, 1149, 851/05.08.2024 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, की उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 6 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित [illegible] यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) [illegible] कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्ण[illegible] लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर **को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 6 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **23.04.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested